भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3472

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

"सोने, चाँदी और कीमती धातुओं पर एकत्र राजस्व"

3472. श्रीमती माला राय:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं पर उच्च आयात शुल्क लगाए जाने के बाद से सरकार द्वारा एकत्र कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है;
(ख) जब से उच्च शुल्क लगाए गए हैं, तब से अवैध रूप से लाए जाने वाले जब्त किए गए सोने की मात्रा का महीने-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार के पास देश में परिवारों के पास निरुपयोगी पड़े सोने का कोई अनुमान है और यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) सोने, चांदी और कीमती धातु पर प्रभावी सीमा शुल्क को13 मई, 2026 से बढ़ा दिया गया था। सरकार द्वारा 13 मई 2026 से 02 अगस्त, 2026 तक सोने, चांदी और कीमती धातुओं के आयात पर एकत्र किया गया कुल राजस्व इस प्रकार है:

अध्याय शीर्षक	विवरण	कुल शुल्क रु. करोड़ में (पी*)
7106	चांदी (सोने या प्लैटिनम के साथ चढ़ाया चांदी सहित), बिना गढ़ा या अर्ध-निर्मित रूपों में, या पाउडर के रूप में	328
7108	सोना (प्लैटिनम के साथ चढ़ाया सोना सहित) बिना गढ़ा या अर्ध-निर्मित रूपों में, या पाउडर के रूप में	10,040
7110	प्लैटिनम, बिना गढ़ा हुआ या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में	95

**पी: अनंतिम*

(ख) दिनांक13 मई, 2026 से 30 जून, 2026 तक जब्त सोने की मात्रा का आंकड़ा इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2026-27	मामलों की संख्या	जब्त किए गए सोने की मात्रा (किलो में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
13.05.2026 से 30.06.2026	287	160.91	116

(ग) देश में घरों में पड़े सोने के अनुमान के संबंध में पर ऐसे किसी आंकड़े का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है।
